बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–106/2023–..................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–............

श्री मनोज कुमार गुप्ता, तत्कलीन राजस्व अधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (कुल–62) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–74(15), दिनांक–15.01.2024, पत्रांक–689(15) दिनांक–12.04.2024, पत्रांक–1972(15) दिनांक–02.09.2024 एवं कतिपय स्मारों द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री गुप्ता द्वारा दिनांक–18.02.2026 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–09.08.2023 को अंचल कार्यालय, दाउदनगर एवं अंचलस्तरीय डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार का किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के आधार पर गठित आरोप पत्र में अन्य मामलों के अतिरिक्त दाखिल–खारिज के कुल 62 वादों को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् पुनः उसी दस्तावेज पर स्वीकृत किए जाने संबंधी मामला भी सन्निहित होने संबंधी आरोपों के लिए विभाग स्तर पर गठित आरोप पत्र के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–1364 (15), दिनांक–01.08.2025 द्वारा "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक दण्ड" संसूचित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की गयी है इसलिए दाखिल–खारिज के कुल 62 वादों को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् पुनः उसी दस्तावेज पर स्वीकृत किए जाने संबंधी मामलों में पुनः अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त मामले को "संचिकास्त" किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार गुप्ता, तत्कलीन राजस्व अधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद सम्प्रति राजस्व अधिकारी, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना से संबंधित आरोप प्रकरण को **"संचिकास्त"** किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–106/2023–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......................

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, औरंगाबाद/निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद एवं पटना/श्री मनोज कुमार गुप्ता, राजस्व अधिकारी, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Manoj kr gupta_CO_Daudnagar_aurangabad_Sanchikast_ Accept & reject.doc-1

ज्ञापांकः–15/विविध स्पष्टीकरण (औरंगाबाद) 07–106/2023–518(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–13/04/2026

प्रतिलिपि :–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Manoj kr gupta_CO_Daudnagar_aurangabad_Sanchikast_ Accept & reject.doc-2